

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक 1474 /स्था/मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 03 AUG 2016

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 141 वीं बैठक दिनांक 15 जुलाई 2016 के एजेण्डा बिन्दु कमांक 2.8 पर लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम-16 अनुसार नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद, को प्राधिकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति एवं नियमानुसार उनका नवीनीकरण करने की शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को तथा नगर पालिका निगम, नगरीय ठोस अपशिष्टों के निपटान स्थल तथा इस हेतु व्यवस्था संचालक को प्राधिकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति एवं नियमानुसार उनका नवीनीकरण करने की शक्तियाँ अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाती हैं ।


(P. P. मिश्रा)
अध्यक्ष सचिव

पृ० कमांक 1475 /स्था/मुप्रनिबो/2016
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 AUG 2016

- 1 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 3 प्रभारी अधिकारी, जीव चिकित्सा अपशिष्ट शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।